राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान
(पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी)
हटिया, राँची - 834 003 (झारखन्ड)
National Institute of Advanced Manufacturing Technology
(Formerly National Institute of Foundry and Forge Technology)
Hatia, Ranchi – 834 003 (Jharkhand)

सं No. : NIFFT/GA-04/COVID-19/2019 : 5307 Date : 04.01.2022

परिपत्र

विषय : परिसर में कोविड–19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशानिर्देश / उपाय।

राज्य में कोविड–19 (ओमनिक्रोम वैरिएंट) के बढ़ते मामले को देखते हुए एवं मुख्य सचिव, गृह विभाग, जेल एवं आपदा प्रबंधन, झारखंड सरकार द्वारा जारी आदेश को ध्यान में रखते हुए झारखंड (आपदा प्रबंधन प्रभाग) दिनांक 03.01.2022 द्वारा कोविड–19 के मामले की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय / दिशानिर्देश जारी किए गए हैं :–

1. सभी (ए०डी०सी० / बी०टेक० / एम०टेक / पीएच०डी०) के विद्यार्थी, जो अभी घर पर हैं, घर पर ही रहें उन्हें संस्थान में वापस आने की अनुमति नहीं जा रही है। ऐसे छात्रों को इस आशय की सूचना दी जाय। **[कार्रवाई : संकायाध्यक्ष (एस एवं ए) एवं मुख्य छात्रावास वार्डन]**

2. एम०टेक (द्वितीय वर्ष) एवं पीएच०डी० छात्र (जिन्होंने 03 वर्ष पूरे कर लिए हैं), प्रोजेक्ट एवं शोध गतिविधियाँ कर रहें हों, जैसा मामला हो, इस आशय की अंडरटेकिंग देने पर, उन्हें संस्थान में रहने की अनुमति दी जायगी। **[कार्रवाई : संकायाध्यक्ष (आर एवं डी) एवं मुख्य छात्रावास वार्डन]**

3. वर्त्तमान अकादमिक सत्र की सभी कक्षाएँ केवल ऑनलाइन के माध्यम से होगी। **[कार्रवाई : संकायाध्यक्ष (अकादमिक) एवं मुख्य छात्रावास वार्डन]**

4. क्रम संख्या 2 में वर्णित विद्यार्थियों के अलावे सभी विद्यार्थी अपने घर वापस चले जायेंगे। अपवाद के रूप में विद्यार्थी औचित्य के साथ संकायाध्यक्ष, स्टुडेंट अफेयर्स के साथ संपर्क कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को अंडरटेकिंग देने पर, केस टू केस आधार पर संस्थान में रहने की अनुमति दी जा सकती है। **[कार्रवाई : संकायाध्यक्ष (एस एवं ए)]**

5. उन विद्यार्थियों को जिन्हें होस्टल में रूकने की अनुमति दी गई है उन्हें कोविड दिशानिर्देशों के अलावा निम्नलिखित दिशोनिर्देशों का पालन करना आवश्यक है :–

   (क) उन्हें संबंधित छात्रावासों तक ही गतिविधियाँ सीमित रखनी होगी।
   (ख) दैनिक आवश्यकताओं के लिए संबंधित छात्रावास केयरटेकर से सम्पर्क करें। किसी भी प्रकार के चिकित्सा सहायता अथवा अन्य आपात स्थिति में वे छात्रावास केयरटेकर के माध्यम से एस.एम.ओ / छात्रावास वार्डन से सम्पर्क कर सकते हैं।

   (ग) होस्टल में रूकनेवालों को मेस शुल्क का अग्रिम भुगतान करना होगा।
   [कार्रवाई : संकायाध्यक्ष (एस एवं ए)एवं मुख्य छात्रावास वार्डन]

6. कोविड–19 महामारी से संबंधित किसी भी दिशानिर्देश का उल्लंघन करनेवाले छात्र के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। **[कार्रवाई : संकायाध्यक्ष (एस एवं ए)]**

क्रमशः अगले पृष्ठ पर..

7. यह सलाह दी जाती है किम परिसर भरती एवं अन्य गतिविधियाँ जैसे प्रोजेक्ट को ऑनलाइन माध्यम से करने की संभावनाएँ तलाश की जाय। **[कार्रवाई : संकायाध्यक्ष (एस एवं ए)]**

8. संस्थान में अधिक से अधिक 50% मानव संसाधन को कार्य करने की अनुमति दी जाती है। **[कार्रवाई : उप कुलसचिव]**

9. पी०जी० अतिथि शाला के निचले तल का (आईसोलेशन) जोन के रूप में उपयोग किया जायगा। **[कार्रवाई : एस.एम.ओ एवं मुख्य छात्रावास वार्डन]**

10. एम.आर.एस. क्वार्टर नं० 01 (निचले तल) को प्राथमिकता के आधार पर रिनोवेट कर एस.एम.ओ. को आईसोलेशन वार्ड के रूप में सौंपा जायगा। **[कार्रवाई : अध्यक्ष (सी.एम.सी.)]**

11. सभी आपातकालीन चिकित्सा आवश्यकताओं को अग्रिम रूप से पूरा किया जाना चाहिए। **[कार्रवाई : (एस.एम.ओ)]**

12. परिसर में साफ–सफाई एवं स्वच्छता का कार्य नियमित रूप से किया जायेगा।**[कार्रवाई :(एस.एम.ओ)]**

13. हेल्थ केयर सेंटर की जरूरतों के लिए एक अतिरिक्त नर्स कों आउटसोर्सिंग/द्वारा उचित माध्यम कार्य पर रखा जायगा। **[कार्रवाई : (एस.एम.ओ)]**

14. चालक के साथ एम्बुलेंस की उपलब्धता हर समय सुनिश्चित की जाय। **[कार्रवाई : परिवहन समिति एवं कुलसचिव]**

15. आरटी–पीसीआर टेस्ट करवाने के लिए कुछ लैबोर्टरी/डायग्नोस्टिक्स सेंटर/पैथोलॉजी के साथ एग्रीमेंट की संभावना का पता किया जाय। **[कार्रवाई : (एस.एम.ओ)]**

16. परिसर में एक प्रोविजन स्टोर की स्थापना की संभावना तलाश की जाय। **[कार्रवाई :अध्यक्ष (जिमखाना)]**

17. यह सुझाव दिया जाता है कि परिसर में संचालित एस.एस.वी.एम. स्कूल को अस्थाई रूप से बंद करने एवं विद्यार्थियों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया जाय। **[कार्रवाई : उप कुलसचिव]**

18. व्यायामशाला, कराटे कक्षाओं एवं अन्य पाठ्येतर कार्यक्रमों जैसे कई स्थानों में एकसाथ एकत्रित होने पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी जाय। **[कार्रवाई : अध्यक्ष (जिमखाना)]**

19. आवासीय क्षेत्र में निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव कार्य पर अस्थाई रूप से रोक लगा दी जाय। **[कार्रवाई : सहायक कुलसचिव (ई एवं एम)]**

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी।

किसी प्रकार की विसंगति पाई जाने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

कुलसचिव

वितरण :–

1. संबंधित संकायसदस्यों एवं कर्मचारियों को उपलब्ध सूची अनुसार ई–मेल द्वारा – एसोसिएट संकायाध्यक्ष (यूजी) को कृपया आवश्यक कार्रवाई के लिए।
2. अध्यक्ष, सीसीसी – कृपया संस्थान के वेवसाइट पर अपलोड करें।
3. निदेशक सचिवालय/कुलसचिव सचिवालय

संग्रहित– कोविड–19 फाईल [NIFFT/GA– 04/2020]

राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान
(पूर्व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी)
हटिया, राँची - 834 003 (झारखण्ड)

National Institute of Advanced Manufacturing Technology
(Formerly National Institute of Foundry and Forge Technology)
Hatia, Ranchi – 834 003 (Jharkhand)

सं No. – NIFFT/ GA-04/ COVID-19/ 2019/5307 **दिनांक Date – 04/01/2022**

CIRCULAR

Sub: - Guidelines / Measures for containing spread of COVID-19 infection in the campus.

In consideration of rising instances of spread of COVID-19 (Omicron variant) in the state and Order issued by Chief Secretary, Department of Home, Jail & Disaster Management, Govt. of Jharkhand (Disaster Management Division) dated 03.01.2022 for containment of COVID-19 cases, following measures / guidelines are issued: -

1. All the students [ADC / B.Tech. / M.Tech. / Ph.D.] who are at home must remain at home and are not permitted to come back to the Institute. An intimation to all such students should be sent. **[Action: Dean (S & A) & Chief Hostel Warden]**
2. M.Tech. [2nd year] and Ph.D. students [those who have completed three (03) year] pursuing projects and research activities, as the case maybe, are allowed to stay in the Institute, subject to furnishing of an undertaking. **[Action: Dean (R & D) and Chief Hostel Warden]**
3. All classes of current academic session to continue in online mode only. **[Action: Dean (Academic)]**
4. All the students except mentioned in Sl.no.2, may be advised to return home. In exceptional cases, the students may approach Dean, Student Affair with sufficient justification. Such students may be allowed to stay on a case-to-case basis subject to furnishing of Undertaking. **[Action: Dean (S & A)]**
5. Students who are allowed to stay in the Hostels should abide by the following guidelines apart from COVID guidelines: -
   a. Movement is to be confined to respective hostels only.
   b. For daily / regular essential requirements, respective Hostel Caretakers are to be contacted. For any medical assistance and / or other emergencies, SMO / Hostel warden maybe contacted through respective Hostel Caretakers.
   c. Mess fees must be paid in advance for those staying in Hostel.
   [Action: Dean (S & A) and Chief Hostel Warden]
6. Severe disciplinary action may be taken against students found violating any of the guidelines relating to COVID-19 pandemic. **[Action: Dean (S & A)]**

Contd. overleaf

7. It is advised to explore possibility of conducting Campus Recruitment and other activities such as projects, training etc. in online mode. [**Action: Dean (S & A)**]
8. Maximum of 50% strength of human resources are permitted to function in the Institute. [**Action: Deputy Registrar**]
9. P.G. Guest House's ground floor to be utilized as containment (Isolation) zone. [**Action: SMO & Chief Hostel Warden**]
10. MRS Quarter no. 01 (Ground Floor) to be renovated on priority basis to provide for Isolation ward in charge of SMO. [**Action: Chairman (CMC)**]
11. All emergency medicinal requirements must be fulfilled in advance. [**Action: SMO**]
12. Hygiene and Sanitization work in the campus to be taken up on a regular basis [**Action: SMO**]
13. One (01) additional nurse to be engaged through outsourcing / proper channel to cater to needs of Heath Care Centre. [**Action: SMO**]
14. Availability of Ambulance with driver must be ensured at all times. [**Action: Transport Committee & Registrar**]
15. In order to conduct RT-PCR test, agreement with some Laboratory / Diagnostics Centre / Pathology to be explored. [**Action: SMO**]
16. To explore the possibility of establishing a provision store in the campus. [**Action: Chairman (Gymkhana)**]
17. It is advised to direct S.S.V.M School operating in the campus to temporarily stop offline mode of classes and restrict entry of students. [**Action: Deputy Registrar**]
18. Gathering in the confined location such as Gymnasium, Karate classes and other extra-curricular activities be temporarily stopped. [**Action: Chairman (Gymkhana)**]
19. Construction, repair, and maintenance work in the residential area be temporarily stopped. [**Action: Assistant Registrar (E & M)**]

This issues with the approval of competent authority.

Registrar
कुलसचिव

Copy to-

1. All Faculty / officers by email as per available list- concerned faculty / officers to take n/a please
2. Notice board (Administrative building / Faculty building)
3. Chairman CCC- to please arrange uploading in Institute's website
4. Director's secretariat / Registrar's secretariat

Archived in COVID-19 File [NIFFT/GA-04/2020]